UPSR040005802012

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (विनीत कुमार यादव) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**02316

क्रिमिनल केस/300955/2012

राज्य बनाम. नानबाबू

उत्तर प्रदेश राज्य---------- ----------अभियोगी।

बनाम

1– नानबाबू
2– सुभाष } पुत्रगण–उधौराम,

निवासीगण–मध्यनगर, मनोहरापुर, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती। ----अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या–14/2012
धारा–323,342 व 506 IPC
थाना–इकौना, जिला– श्रावस्ती।

निर्णय

1– अभियुक्तगण नानबाबू व सुभाष पुत्रगण उधौराम के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 14/2012 अन्तर्गत धारा 323, 342 व 506 भा०द०स० में आरोप–पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

2– वादी मुकदमा संजय शर्मा द्वारा दिनांक 06.02.2012 को लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी है कि उसके घर के लोगों से व विपक्षीगण नानबाबू व सुभाष पुत्रगण उधौराम से दिनांक 03.01.2012 को मारपीट हुयी थी। इसी कारण से विपक्षीगण रंजिश रखते थे। दिनांक 05.01.2012 को वह बहराइच से अपने घर जा रहा था कि जब वह ब्रम्हम के स्थान के सामने खड़न्जा तिराहे पर पहुँचा तो पहले से घात लगाये नानबाबू व सुभाष मोटरसाइकिल से पहुँच गये तथा उसे धमकाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर अपने घर की तरफ लाये। घर के पास मोटरसाइकिल रोके तो उसे नानबाबू मोटरसाइकिल पकड़े हुए उतरे कि मौका पाकर नानबाबू को छिटक कर उत्तर तरफ भागा तथा गांगा राम यादव के घर के आंगन

में कूद गया कि पीछे से नानबाबू व सुभाष पहुँचकर उसे पकड़ लिए तथा मारते पीटते अपने घर लाये तथा कुएं के पास हाथ पैर बांधकर लात मुक्का व बेल्ट से मारने लगे। उसके शोर पर गाँव के तमाम लोग पहुँचे तब मारना बन्द किये तथा उसे थाने पर ले गये। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

3– वादी द्वारा न्यायालय में दी गयी लिखित तहीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–14/2012, अंतर्गत धारा–452, 354 भा०दं०सं० में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया गया। सभी सुसंगत साक्षियों के बयान लिए गए एवं संपूर्ण विवेचना के उपरांत मुकदमा अपराध संख्या– 14/2012 में अभियुक्तगण के विरुद्ध अंतर्गत धारा–323, 342 व 506 भारतीय दंड संहिता में विचरण हेतु आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया गया।

4– न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया तथा मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्तगण को विधिवत तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय हाजिर आये तथा अपनी–अपनी जमानतें करायीं। दिनांक–22.03.2018 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की मांग की। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का विचारण स्वीकार किया गया। अभियोजन पक्ष को साक्ष्य का अवसर दिया गया।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र में अंकित गवाहों में वादी मुकदमा संजय शर्मा को पी०डब्ल्यू०–1, दुर्गा प्रसाद को पी०डब्लू० 2 के रूप में सशपथ परीक्षित कराया गया है। अभियोजन के द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है। वादी/अभियोजन की ओर से उन्मोचन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकर कर शेष साक्षीगण को उन्मोचित किया गया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण साक्ष्य परीक्षित माना गया।

6– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा घटना से इन्कार करते हुए कथन किया गया कि उनके ऊपर रंजिशन मुकदमा चलाया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में कुछ और न कहने का कथन किया गया।

7– मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की

बहस सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

8– अभियोजन को इस प्रकरण मे सफल होने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि अभियुक्तगण ने पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए वादी मुकदमा को जबर्दस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने घर लाये और उसका हाथ पैर बांधकर उसे बेल्ट से बुरी तरह से मारा पीटा।

9– दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्तगण की दोषसिद्धि हेतु अभियोजन पक्ष को अपने कथानक को किसी भी युक्ति–युक्त सन्देहों से परे साबित करना आवश्यक होता है। अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला सन्देह से परे साबित करना होगा तथा यदि साक्ष्य की सत्यता पर सन्देह उत्पन्न होता है, तो उक्त का लाभ सदैव अभियुक्तगण को दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **परमजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य, AIR2011SC200** में यह अवधारित किया गया है कि "*The burden of proof in a criminal trial never shifts and it is always the burden of the prosecution to prove its case beyond reasonable doubt on the basis of accepetable evidence.*"

10– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 संजय शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही घटना से इनकार किया है और कहा है कि लगभग साढ़े 13–14 साल पहले उसकी मुल्जिमान से पुरानी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी जिसमें काफी राहगीर इकट्ठा हो गये थे जिसमें धक्का लगने से वह गिर पड़ा जिससे उसे चोटों आयी थीं। मुल्जिमान ने उसे न तो बंधक बनाकर मारा पीटा था और न ही जान माल की धमकी ही दी थी। इस प्रकार इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में भी इस साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। साक्षी पी०डब्लू० 2 दुर्गा प्रसाद ने भी अपनी मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा में घटना से इनकार किया है और कहा है कि उसकी जानकारी में नानबाबू व सुभाष ने संजय शर्मा को कोई गाली नहीं दी न ही जान से मारने की धमकी दी और न ही कोई प्रतिरोध किया। इस प्रकार इन दोनों साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के तथ्य से इन्कार किया गया है, जिससे उनका साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नही होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त घटना को साबित करने हेतु कोई भी अन्य स्वतन्त्र साक्षी या चश्मदीद साक्षी को परीक्षित नही

कराया गया है। इस प्रकार अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया है, परन्तु अभियोजन प्रपत्रों की मात्र सत्यता स्वीकार करने से अभियोजन कथानक प्रमाणित नहीं होता है।

11– अतः उपरोक्त सम्पूर्ण संकलित साक्ष्यों से अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किया जाना सन्देह से परे प्रमाणित नही होता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अन्य कोई ऐसा साक्ष्य नही है, जिससे की अभियुक्तगण नानबाबू व सुभाष को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–323, 342 व 506 भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध किया जा सके। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण उपरोक्त मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

मुकदमा संख्या–955/2012 व अपराध संख्या–14/2012 में अभियुक्त नानबाबू व सुभाष पुत्रगण उधौराम को अंतर्गत धारा– 323, 342 व 506 भा०दं०सं० के आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण का जमानतनामें तथा व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

धारा 437–क द०प्र०सं० के तहत दाखिल जमानतनामें व बन्ध पत्र, इस निर्णय की अपील न होने की सूरत में, आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक 24.03.2026

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
श्रावस्ती।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 24.03.2026

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
श्रावस्ती।